राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्र. एफ–165 (7) पराविं/ले.ब./एसएफसी IV/2010–11/ 2924 जयपुर, दिनांक 12.09.2011

विषयः– राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु अन्तरिम दिशा–निर्देश।

राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा प्रस्तुत अपने अन्तरिम प्रतिवेदन (वर्ष 2010–11 एवं 2011–12) में की गई अनुशंसा के अंतर्गत राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 3 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में देय है। पंचायती राज संस्थाओं को तद्नुसार प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग हेतु निम्नांकित अन्तरिम दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1: <u>उद्देश्य :–</u>

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशानुसार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2010–11 से यह अनुदान राशि निर्बन्ध अनुदान (अनटाईड ग्रान्ट) के रूप में हस्तांतरित की जा रही है। इस निर्बन्ध अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न सेवाओं के रख–रखाव एवं 13 वें वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि के पूरक के रूप में किया जायेगा।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निम्नांकित आधारभूत नागरिक सेवाओं का सृजन संवर्द्धन एवं रखरखाव किया जाना चाहिए:–

1. पेयजल आपूर्ति,
2. स्वच्छता (जिसमें सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण शामिल हैं) एवं सफाई व्यवस्था।
3. गलियों एवं सडकों पर प्रकाश व्यवस्था
4. प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का रखरखाव
5. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का रखरखाव
6. शवदाह एवं कब्रिस्तान का रखरखाव
7. बस अड्डे, प्याउ और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव ।
8. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान से आवश्यकता होने पर उक्त सेवाओं के सुदृढीकरण, संवर्द्धन, सुधार एवं विस्तार हेतु नवीन कार्य भी प्रारंभ किये जा सकते हैं।
9. इस राशि का उपयोग संबंधित पंचायती राज संस्था के क्षेत्राधिकार में चलने वाली विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन (execution), पर्यवेक्षण (supervision) और देखरेख (monitoring) के लिए भी किया जा सकता है। जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को आवंटित राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यकमों के पर्यवेक्षण एवं देखरेख हेतु तथा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु भी किया जा सकेगा।
10. वार्ड पंच, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता का भुगतान करने हेतु भी उक्त राशि उपयोग में ली जा सकेगी ।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति को आवंटित क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि का उपयोग अंतिम निर्देश जारी होने तक राज्य वित्त आयोग तृतीय के तहत पूर्व में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को प्रदत्त क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप ही किया जायेगा।

2. राशि के उपयोग बाबत प्रतिबंधः–

यह राशि निर्बन्ध राशि के रूप में ही दी जा रही है परंतु किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा इसका उपयोग वेतन भत्तों के भुगतान के रूप में नहीं किया जायेगा तथा इस राशि का आधारभूत जनसेवाओं के रख–रखाव के अतिरिक्त अन्य कार्यों में व्यय नहीं किया जावेगा। 13 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत संपादित होने वाले कार्यों के पेटे देय मजदूरी अंश पर यह प्रतिबंध नहीं है । यह राशि चार दीवारी (स्कूल चारदीवारी के अतिरिक्त) सामुदायिक हॉल, चबूतरा, स्वागत द्वार एवं हथाई बनाने के कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान का सबसे अच्छा उपयोग किस जनसेवा के लिए किस रूप में क्या होगा इसका निर्णय संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा किया जावेगा परंतु उसे इस अनुदान से इन जन सेवाओं के लिए नये या अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने या विद्यमान कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने की इजाजत नहीं होगी।

4. राशि का हस्तांतरणः–

पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रदत्त जिलेवार कुल राशि का हस्तांतरण पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में किया जायेगा । जिले को आवंटित कुल राशि में से 3 प्रतिशत राशि का उपयोग जिला परिषदों द्वारा, 12 प्रतिशत राशि का उपयोग पंचायत समितियों द्वारा और शेष 85 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलों हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये सूत्र के आधार पर प्रत्येक जिले को आंवटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि का 3 प्रतिशत राशि का अन्तरण पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के पी.डी.खातों में किया जावेगा। प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली 97 प्रतिशत राशि में से पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक किश्त की कुल राशि का 12 प्रतिशत का आवंटन पंचायत समितियों हेतु संबंधित पंचायत समिति के पी.डी. खातों में कर दिया जायेगा एवं 85 प्रतिशत राशि का आवंटन ग्राम पंचायतों हेतु सरपंच ग्राम पंचायत के बैंक खातों में कर दिया जावेगा । पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को होने वाले अंतरण की पंचायत समितिवार एवं ग्राम पंचायतवार सूचना विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा लेखाधिकारी जिला परिषद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। जिला परिषदों द्वारा पचांयत समितियों के पी.डी. खातों में एवं ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार किये जाने वाले हस्तांतरण की पुष्टि की सूचना ई–मेल/फैक्स द्वारा पंचायती राज विभाग को तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु ई–मेल एड्रेस cao_pr@rediffmail.com होगा ।

5. राशि का उपयोग एवं लेखाः–

ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का मासिक लेखा (मांग संख्या/मद के अनुरूप) संबंधित पंचायत समिति को आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। पंचायत समितियों द्वारा पंचायत समिति को प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण (मांग संख्या/मद के अनुरूप) जिला परिषद को प्रतिमाह 10 तारीख तक व जिला परिषदों द्वारा उन्हें प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण (मांग संख्या/मद के अनुरूप) प्रतिमाह 15 तारीख तक विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा । इन लेखों में योजनान्तर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों पर हुए मांगवार व्यय, बैंक खातों में योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि, गत माह में इन कार्यों हेतु आहरित राशि एवं भौतिक प्रगति का विवरण सम्मिलित किया जावेगा।

1. योजनान्तर्गत कार्यों का संपादन ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में अंकित तकनीकी मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा। प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी करने की शक्तियाँ ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुरूप रहेंगी।
2. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों का निष्पादन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 10 के अनुरूप किया जावेगा। इन नियमों के नियम 181 (1) में ठेका पद्धति से कार्य करवाने की अनुमति नहीं दी गई है।

6. कार्यों का पर्यवेक्षणः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम के नियम 336 (20) के अनुसार तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार किया जावेगा।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 334 (42) के अनुसार तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार किया जावेगा।
3. योजनान्तर्गत कराए गये कार्यों का पर्यवेक्षण एवं भौतिक सत्यापन तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में दिये प्रावधानों के अनुसार तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार किया जायेगा।
4. क0 अभियंता, पंचायत समिति राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 346 के अनुरूप तथा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधी व्यवस्थाः–

1. आवंटित राशि का उपयोग कर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराना कार्यकारी संस्था का दायित्व होगा।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति यह सुनिश्चित करें कि योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की माप पुस्तिका की लेखाकार द्वारा गणितीय गणना की जांच कर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत लेखों का योगादि की जांच कर उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिला परिषद में समायोजन हेतु नियमित रूप से प्रेषित किया जा रहा है।
3. समायोजन हेतु कार्य की स्वीकृत राशि, वास्तविक व्यय, मूल्यांकन राशि में से जो भी कम हो वह राशि ली जावेगी।
4. उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों की जांच ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुरूप की जावेगी ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक पंचायत समितियों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा

[illegible] पारित कर जिला परिषद स्तर पर रजिस्टर का संधारण करावें तथा प्रगति रिपोर्ट पंचायती राज विभाग को निम्न प्रपत्र में प्रेषित करें:–

जिला......................में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से कराये गये कार्यों की प्रगति माह.................

कुल स्वीकृत कार्य	प्रारंभ हुए कार्य	पूर्ण हुए कार्य	टिप्पणी	कुल प्राप्त राशि	व्यय राशि	व्यय राशि में से प्रेषित यू.सी. की राशि	यू.सी. बकाया रहने के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
A.En			A.O.			CEO/ACEO	

इन दिशा–निर्देशों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गये शेष समस्त बिन्दुओं के संबंध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधान लागू होंगे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग की राशि के उपयोगिता पर श्रम/सामग्री का कोई न्यूनतम अनुपात लागू नहीं होगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना को सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का होगा।

यह दिशा–निर्देश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

ये दिशा निर्देश वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 271100308 दिनांक 30.08.2011 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती रजा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज
4. निजी सहायक, महालेखाकार, राज0 जयपुर
5. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर
6. निजी सहायक, उप शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, जयपुर
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
8. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
10. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव एवं आयुक्त